(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की राज्य सरकारों की अपनी-अपनी राज्य क्षेत्र योजनाएं हैं । फिर भी कल्याण मंत्रालय की अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दरें नीचे दी गई हैं :—

कक्षा	संवासी छात्रों के लिए प्रति माह छात्र-वृत्ति दरें	कक्षा	दिवा छात्रों के लिए प्रति माह छात्र-वृत्ति दरें
III-VIII . . .	200 रुपये	I-V . . .	25 रुपए
IX-X	250 रुपये	VI-VIII . . .	40 रुपए
		IX-X . . .	50 रुपए

योजना के अंतर्गत सभी छात्रों को अर्थात् संवासी तथा दिवा छात्र दोनों को 500 रुपए प्रति वर्ष का तदर्थ अनुदान भी ग्राह्य है ।

(ख) तथा (ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निर्वाह भत्ते की दरों को जिनकी तुलना अन्य योजनाओं से नहीं की जाती है, समय-समय संशोधित किया गया है । तथा अन्तिम बार तारीख 1-7-1989 को संशोधित किया गया था । निर्वाह भत्ते की दरों में आगे संशोधन योजना आयोग के साथ उनके अनुमोदन के लिए पहले ही उठाया गया है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने की योजना

2968. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना 1993-94 से लागू की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, जिसकी आबादी लगभग एक करोड़ है, तथा अनुसूचित जनजाति जिसकी आबादी लगभग डेढ़ करोड़ है, को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश में केवल तीन व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना पर्याप्त है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने की एक योजना है । वर्ष 1992-93 से प्रारम्भ की गई है । अनुसूचित जाति युवा के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रो को खोलने की इस प्रकार की कोई योजना नही है । फिर भी, अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की मौजूदा योजना के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण केन्द्रों का उद्देश्य अनुसूचित जाति युवाओं को प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार प्राप्त करने में सहायता देना या अपने स्वयं का कारोबार प्रारम्भ करना है और ये केन्द्र विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सरकार की वित्तीय सहायता से चलाए जा रहे हैं ।

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आदिवासी क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के वास्ते केवल 1.90 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था । इसलिए सीमित बजट होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार को 6 केन्द्रों की मांग के लिए तीन व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए गए थें ।

सरकार की वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति युवाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 9 प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं ।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों की संख्या तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा ।

Welfare Schemes for Children of Women Prisoners

2969. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any welfare scheme for the children born to women prisoners and women languishing in mental hospitals in the country; and